23/9/20 पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] अनुपस्थित।
पीठासीन अधिकारी दीवानी [illegible] कार्य में व्यस्त है। सुनवाई पश्चात [illegible]
दौरे पर है/मीटिंग में है। [illegible] कार्यवाही हेतु पत्रावली
दिनांक 09/10/20 को पेश हो।

रीडर

09/10/20 आज पक्षकार प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन पत्रावली रूप अलग से पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० आये। वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने कोर्ट के सुनवाई आदेश पत्र-पत्र के विपक्षी को दोहराते हुए कहा कि मुकदमा बुलाया जाने के समय की शिकायत नहीं होने से प्रतिवादीगण के कहने से अनुपस्थित पेश वादी को दिनांक 28/11/19 को खारिज कार्यालय का आदेश करते हुए वादी के वादीगण का कानूनन हक हकूक विहित होने के कारण बेकसूर होने पर वापस कराया जाकर पूर्व में भी वादी द्वारा प्रतिवादीगण के कहने में आकर अन्य मुकदमों में उनके कहे अनुसार हाजिर कर खारिज करवाया जाना अवगत कराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिए जाने के बाबत निवेदन किया। वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली के साथ पूर्व विहित नोटिस/विड्रॉ कर खारिज दावा पत्रावली का अवलोकन किया गया जो स्पष्ट वादी इस्तगासा के उपस्थित अदालत आकर दावे के बाबत विड्रॉ कर खारिज किया जाने अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा वादी इस्तगासा की ज्ञान बाबत वकील वादी श्री विजयपाल शर्मा के पहचान कीजाने पर [illegible] दावा पत्रावली पूर्व दिनांक 28/11/19 को खारिज [illegible] की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में [illegible] खारिज करवाया जा चुका है तो [illegible] प्रार्थना डायपुद्धत किये जाने [illegible] विचार किया जाकर होकर पोषणीय नहीं होने की स्थिति में खारिज की जाती है। फैसल हुआ। नम्बर [illegible] कार्यालय सलांक [illegible] रहे। सुनाया गया।

[illegible] राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Kirajawat
Date: 2021.07.29 13:02:07 IST
Reason: SelfAttested